


परिशिष्ट - "अ"

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2664

नवीन तहसील बनाने की मानक प्रक्रिया चरणबद्ध निम्नानुसार है:-

- (1) सर्वप्रथम जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है।
- (2) प्राप्त प्रस्ताव का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया जाकर उचित पाये जाने पर प्रशासकीय अनुमति होता है।
- (3) प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 13(2) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाती है।
- (4) प्रारंभिक अधिसूचना की समयावधि में प्राप्त टीप / आवेदन का परीक्षण किया जाता है, तथा पुनः प्रशासकीय अनुमति प्राप्त किया जाता है।
- (5) प्रकरण कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक में रखा जाता है।
- (6) कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक में अनुशंसा उपरांत मंत्रि-परिषद में प्रस्तुत किया जाता है।
- (7) मंत्रि-परिषद से अनुमोदित उपरांत विधिवत आदेश जारी होता है।


अनुमोदित अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग, बिलासपुर